

छात्रवृत्ति आवश्यक सूचना

नवीन/नवीनीकरण पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति/आवास सहायता योजना

सत्र-2023-24

शैक्षणिक सत्र 2023-24 में अनुसूचित जाति/जन जाति/पिछडा वर्ग के छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2023-24 के लिए पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति/ आवास सहायता योजना हेतु नवीन/नवीनीकरण छात्रवृत्ति ऑनलाईन आवेदन के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल प्रारम्भ हो चुका है।

जिन छात्र/छात्राओं को वर्ष 2023-24 के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति /आवास सहायता योजना के आवेदन पत्र भरा जाना है। वे छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन के पश्चात् पो.मै. छात्रवृत्ति/आवास सहायता योजना आवेदन पत्र की हार्डप्रति के साथ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ कार्यालय में दिनांक 18/01/2024 तक जमा करें।

समय सीमा में आवेदन प्रस्तुत न करने वाले छात्र/छात्राएँ छात्रवृत्ति/आवास सहायता योजना की पात्रता से वंचित रहने पर वे स्वयं उत्तरदायी होंगे।

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति संलग्न सहपत्र :-

1. अंक सूची कक्षा 10 वीं एवं 12वीं।
2. पिछली उत्तीर्ण सेमेस्टर की अंक सूची की सत्यापित प्रति।
3. आय प्रमाण पत्र (31 मार्च 2023 की स्थिति में)
4. एडमिशन स्लिप/फीस स्लिप
5. विश्वविद्यालय का नामांकन की रसीद की प्रति।
6. जाति प्रमाण-पत्र की प्रति।
7. समग्र आई.डी. की कम्प्यूटराईज्ड प्रति।
8. एडमिशन एप्लीकेशन आई.डी. नम्बर।
9. पासबुक की छायाप्रति।
10. ई-मेल आई.डी. की कम्प्यूटराईज्ड प्रति।
11. आधार कार्ड की कम्प्यूटराईज्ड प्रति।

आवास सहायता योजना संलग्न सहपत्र :-

1. अंक सूची कक्षा 10 वीं एवं 12वीं।
2. पिछली उत्तीर्ण सेमेस्टर की अंक सूची की सत्यापित प्रति।
3. आय प्रमाण पत्र (31 मार्च 2023 की स्थिति में)
4. एडमिशन स्लिप/फीस स्लिप
5. विश्वविद्यालय का नामांकन की रसीद की प्रति।
6. जाति प्रमाण-पत्र की प्रति।
7. समग्र आई.डी. की कम्प्यूटराईज्ड प्रति।
8. एडमिशन एप्लीकेशन आई.डी. नम्बर।
9. पासबुक की छायाप्रति।
10. ई-मेल आई.डी. की कम्प्यूटराईज्ड प्रति।
11. आधार कार्ड की कम्प्यूटराईज्ड प्रति।
12. किरायानामा / द्विपक्षीय घोषणा पत्र।
13. ग्राम पंचायत से सत्यापित दूरी प्रमाण-पत्र (घर से महाविद्यालय की दूरी 12 कि.मी. से अधिक हो)
14. मकान मालिक को किये गये भुगतान की पावती
15. मकान मालिक का बिजली/नल बिल की प्रति।

नोट:- 1. आवेदन पत्र भरवाते समय प्रत्येक प्रविष्टियों की जांच सही-सही स्वयं कर ले किसी प्रकार की त्रुटि के कारण यदि उक्त योजना के लाभ से वंचित रहने पर स्वयं संबंधित छात्र/छात्रा की जिम्मेदारी होगी। इस हेतु संस्था उत्तरदायी नहीं रहेगा।
2. छात्र/छात्रा अपना बैंक खाता एवं छात्रवृत्ति आवेदन को आधार नम्बर से लिंक /एन.पी.सी.आई./डीबीटी ऑन/आधार सीडिंग अनिवार्य रूप से करावें। यदि बैंक खाता एवं छात्रवृत्ति आवेदन आधार कार्ड से लिंक न होने की स्थिति में भुगतान के लिए होने वाली असुविधा या भुगतान प्राप्त न होने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी विद्यार्थी की होगी।

नोडल अधिकारी
शासकीय स्नातक महाविद्यालय
शहपुरा जिला डिण्डौरी

छात्रवृत्ति प्रभारी
शासकीय स्नातक महाविद्यालय
शहपुरा जिला डिण्डौरी

प्राचार्य
शासकीय स्नातक महाविद्यालय
शहपुरा जिला डिण्डौरी
शहपुरा-जिला डिण्डौरी (म.प्र.)